:: निर्णय ::

दिनाक–03.02.2026

प्रार्थी के द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा– 251–ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के प्रस्तुत कर सरहद अलगवास पटवार हल्का भभाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेडा तहसील करेडा । भीलवाडा (राज0) मे आराजी नम्बर 1477, रकबा 0.3162 हेक्टयर स्थित है जो अन्य आराजीयातके राजस्व रिकोर्ड मे प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज होकर प्रार्थी का ही कब्जा एवं ाग उपभोग चली आ रही है। प्रार्थी की उक्त आराजी मे आने जाने जो एकमात्र रास्ता जो सरकारी । आराजी नम्बर 1326 से होकर विपक्षी सख्या 01 लगायत 10 के आराजी नम्बर 1461, 1462, 1494, , की सामलाती मेड से होकर अपनी आराजी नम्बर 1477 मे आता जाता है। जो कि उक्त रास्ता दो ा चौडाई के रास्ते को दर्ज कराया जावे।

प्रार्थी का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध किया गया व विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जरिऐ । एडी प्रेषित किये गये विपक्षी सख्या 08एवं 09 के अधिवक्ता उप0 शेष विपक्षीगण की ओर उपस्थित होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रकरण मे मौके का निरीक्षण कर प्रार्थीगण की आराजियात पर ावित रास्ता है अथवा नही या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नही, इस तथ्यात्मक रिपोर्ट ोलदार करेडा से मगवाई जाने का आदेश दिया गया जिस पर तहसीलदार करेडा से दिनांक 05. 05. । को प्राप्त हुई, विपक्षी सख्या 08 एव 09 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 09.10.2023 को आपत्ति दर्ज ई एवं पुनः मौका रिपोर्ट मगवाई जाने का निवेदन किया जिस पर न्यायालय द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट हेतु अ0 निरीक्षक करेडा द्वारा चाही गई भू0 अ0 निरीक्षक करेडा से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई शामिल पत्रावली ा गया उक्त मौका रिपोर्ट पर भी विपक्षी अधिवक्ता मुकेश सिह तंवर ने आपत्ति प्रा0 पत्र पेश किया त्ति प्रा0 पत्र को खारीज किया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता एवं विपक्षी सख्या 08 एवं 09 के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के वक्ता द्वारा आवेदनपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख , नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के रिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को आराजियात पर आने जाने , संज बैलगाडी एंव कृषि उपकरण लाने ले ा के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है। तहसीलदार द्वारा प्राप्त ा रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम पर सरहद अलगवास पटवार हल्का भभाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र डा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1477, रकबा 0.3162 हेक्टयर स्थित है जो ा आराजीयातके साथ राजस्व रिकोर्ड मे प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज रिकोर्ड है। ़द अलगवास पटवार हल्का भभाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा ज0) मे विपक्षी संख्या 01 लगायत 10 की आराजी नम्बर 1461, 1462, 1494, 1476 के नाम दर्ज रेकार्ड, े पर वर्तमान मे उक्त आराजियात पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता भी नही है। मौका रिपोर्ट अनुसार र्थीगण भी खसरा नम्बर 1461, 1462, 1494, 1476 मे होकर आने जाने हेतु रास्ता चाहता है, अतः प्रार्थी खातेदारी खसरा नम्बर आराजी नम्बर 1477, रकबा 0.3162 हेक्टयर स्थित है जो अन्य आराजीयात मे ने जाने हेतु अप्रार्थी सख्या 01 लगायत 10 की खातेदारी भुमि खसरा नम्बर 1461, 1462, 1476 रकबा 0. 01 हैक्टयर मे से (12 फीट यानी 3.66 मीटर चौडाई) के रूप मे कुल रकबा 0.0453 हैक्टयर भुमि रास्ता प्रस्तावित है,

मैने प्रार्थी के अधिवक्ता एवं विपक्षी सख्या 08 एवं 09 ,के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर लब्ध सामग्री का अवलोकन किया , प्रार्थीगण आराजी नम्बर 1477 मे आने जाने हेतु विपक्षी संख्या विपक्षी या 01 लगायत 10 की आराजी नम्बर 1461, 1462, 1476 से से रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी की सरहद अलगवास पटवार हल्का भभाणा भू अभिलेख क क्षैत्र करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1477, रकबा 0.3162 हेक्टयर है जो अन्य आराजीयातके साथ राजस्व रिकोर्ड मे प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी भुमि मे आने जाने पक्षी संख्या 01 लगायत 10 की आराजी नम्बर 1461, 1462, 1476 (12 फीट यानी 3.66 मीटर) के रूप मे जो आराजी नम्बर 1494 की पश्चिमी दक्षिणी मेड से लगती हुई रहेगी रास्ते मे काम आने

उपखण्ड अधिका...
सहायक कलक्...

ला कुल रकबा 0.0453 हैक्टयर भुमि (मौका पर्चा रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रस्तावित भू नक्शे मे र्शितानुसार) मे कृषि कार्य हेतु आने जाने का रास्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथा इसी भांति जस्व नक्शा मे प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता कायम करने की आज्ञा पारित की जाती है। इस आदेश की ालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावे कि रास्ते के लिए आरक्षित की जाने वाली 0.0453 हैक्टयर रास्ते की भूमि की डी.एंल.सी. दर से दो गुणा मूल्य प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी सख्या 01 लगायत 10 को क्षतिपूर्ति हेतु अदा की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 03.02.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रेखा गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेडा जिला भीलवाडा (राज0)